

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023—आश्विन 14, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (47) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33/2017/1/पांच (42) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IVमें-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात;

(1)	(2)	(3)
227क	कोई भी अध्याय	"विनिर्दिष्टअनुयोज्य दावे",- स्पष्टीकरण: केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102क) में यथा-परिभाषित विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे से- (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) घूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड़; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।";

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;

(v) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम (2017 का 13) और मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त मानी जावेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ-ए-3-33-2017-1-पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1-पांच(47), दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal the 6th October 2023

No. F A 3-33/2017/1/V(47) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-1-V (42) Dated 29th June 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; Explanation: "specified actionable claim" as defined in section 2(102A) of the CGST Act, 2017 means the actionable claim involved in or by way of— betting; casinos; gambling; horse racing; lottery; or online money gaming;";

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the Explanation, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:

"(v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.